प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा**
माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 805 वर्ष 1995

मोहन उर्फ बृजमोहन एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

विचारार्थ
सही/-
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा

मैं सहमत हुं

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

दिनांक 30/10/2012 को निर्णय हेतु सूचिबद्ध करें

सही/-
न्यायाधीश
29/10/2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा
माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 805 वर्ष 1995

अपीलार्थीः 1) मोहन उर्फ बृजमोहन ,पिता मन्नूराम ,उम्र लगभग 37 वर्ष
2) हरि शंकर,पिता बृजमोहन उम्र लगभग 19 वर्ष (वर्तमान में उन्हें अवयस्क माना गया है।)
दोनों निवासी बरगढ कर्रानारा ,पुलिस थाना खरसिया जिला रायगढ़

बनाम

प्रत्यर्थीः मध्य प्रदेश राज्य
(वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा
पुलिस थाना खरसिया जिला रायगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 374(2) के अधीन दांडिक अपील)

उपस्थितिः
श्रीमती सविता तिवारी, अपीलार्थीओं की ओर से अधिवक्ता।
श्री अरविंद दुबे, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

निर्णय
(30.10.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित किया गया ।

1) अपीलार्थीगण ने द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 34/94 में दिनांक 25 अप्रैल, 1995 को पारित निर्णय और निष्कर्ष से व्यथित होकर यह प्रस्तुत किया है।

2) अपीलार्थीगण पर धारा 307/34; 307/34 और 302/34 भा.द.स. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियोग चलाया गया था। हालांकि, उन्हें धारा 302/34,323/34 और

325/34 भादस के तहत दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास तथा एक वर्ष के साधारण कारावास और दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया।

3) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:-

अपीलार्थीओं और मृतक चिरोंजीलाल के खेत बरगढ़ गांव में एक दूसरे से सटे हुए थे। दोनों पक्षों के खेतो की मेढ़ में एक बबूल का पेड़ था। दोनों पक्ष उस पेड़ पर अपना अधिकार और स्वत्व जता रहे थे। दिनांक 25.11.1993 को सुबह लगभग 9.00 बजे अपीलार्थी अपने मजदूरों और बैलगाड़ी के साथ उस पेड़ को काटने गए थे। जब मृतक पक्ष को इस बात का पता चला, तो वे खेत में आए और अपीलार्थीओं का विरोध किया, जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि इस झगड़े में अपीलार्थी मोहन (अ-1) ने मृतक पर टांगिया से और अपीलार्थी हरि शंकर (अ-2) ने लाठी से हमला किया। आगे आरोप यह भी है कि दोनों अपीलार्थीओं ने श्यामलाल (अ.सा. 15) और हेतराम (मृतक की गवाही नहीं हो सकी) पर भी हमला किया। इस प्रकार अपीलार्थीओं पर चिरोंजीलाल की हत्या और श्यामलाल (अ.सा.15) और हेतराम की जान लेने की कोशिश के लिए अभियोग चलाया गया। हत्या की घटना का चक्षुदर्शी साक्षी श्यामलाल (अ.सा. 15), हेतराम, संतराम (अ.सा.-1), कोंडी बाई (अ.सा.-3) और गजलाल (अ.सा.-13) के प्रत्यक्षदर्शी थे। श्यामलाल (अ.सा.-15) को छोड़कर बाकी सभी अ.सा. पक्षद्रोही गए। माननीय सत्र न्यायाधीश ने श्यामलाल (अ.सा.-15) के अभिकथन पर भरोसा करते हुए अपीलार्थीओं को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) अपीलार्थीओं की ओर से पेश हुई विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी ने मृतक की मानव वध होना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने दो प्रकार के तर्क दिए हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि अपीलार्थी अपना बबूल का पेड़ काट रहे थे जब शिकायतकर्ता पक्ष वहाँ आया, तो दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया । झगड़े में अपीलार्थीओं ने शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों पर हमला किया यद्यपि अपीलार्थी नंबर 1 मोहन (अ-1) के हाथ में एक टंगिया थी, उसने धारदार भाग का प्रयोग नहीं किया बल्कि भोथरे भाग का प्रयोग किया । अपीलार्थी निहत्थे थे और उन्होने पेड़ काटने और उसे बैलगाडी़ पर लादने के लिए टंगिया और डंडे का प्रयोग किया था। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीओं की ओर से कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं थी, और उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंड के पात्र नहीं होंगे और उनका कृत्य धारा 304 भाग II/34 के तहत दंडनीय होगा। अपीलार्थी हरि शंकर (अ-2) के संबंध में, उन्होंने तर्क दिया कि घटना के दिन वह अवयस्क था, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद , उसे बिना किसी और दंड के रिहा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह पहले ही लगभग साढ़े चार वर्ष की सजा काट चुका है।

5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने इन तर्को का विरोध किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा अन्य छोटी धाराओं के तहत अपराध के कारित किए जाने के निष्कर्ष का समथर्न किया।

6) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के बाद, हमने सत्र प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7) श्यामलाल (अ.सा.-15) मृतक चिरोंजीलाल का भाई है। उसने अ.सा. दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह मवेशी चराने गया था। उसके पिता हेतराम (अब मृत) और भाई चिरोंजीलाल (मृत) अपनी धान की फसल काट रहे थे। अपीलार्थी उनके खेत में आए और खेत में लगे बबूल के पेड़ को कोटने लगे। उसके पिता हेतराम ने उन्हें पेड़ न कोटने के लिए कहते हुए रोकने की कोशिश की, लेकिन अपीलार्थी नहीं रूके। दोनों अपीलार्थीओं ने उसके भाई पर टांगिया से हमला किया। इसके बाद उन्होंने उसके भाई पर भी हमला किया। पिता पर मोहन (अ-1) ने टंगिया से और हरि शंकर (अ-2) ने लाठी से हमला किया। उनके भाई चिरोंजीलाल की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षणमें उन्होने स्वीकार किया कि अपीलार्थीओं का खेत उनके खेत के बगल में स्थित था, जिस पर बबूल का पेड़ खड़ा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बबूल का पेड़ अपीलार्थीओं के खेत में था। हालांकि, वे उस खसरा नंबर को नहीं बता सके जिस पर वास्तव में बबूल का पेड़ खड़ा था।

8) डॉ. विकास श्रीवास्तव (अ.सा.-7) ने मृतक के शव का शव परीक्षण किया था। उन्होंने खोपड़ी पर चार घाव और चोट क्रमांक1 के समान अंतर्निहित पार्श्विक हडडी में फ्रैक्चर पाया। उन्होंने राय दी कि मृतक को लगी चोटें किसी कठोर और भोथरे वस्तु से कारित गई थी। प्रतिपरीक्षण में, कंडिका -8 में उसने स्वीकार किया कि मृतक की मृत्यु केवल चोट क्रमांक 1 के कारण हुई थी, और ऐसी चोट कठोर सतह पर गिरने से आ सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9) गजलाल (अ.सा.-13) वह मजदूर था जिसे मोहन (अ-1) ने पेड़ काटने के लिए काम पर रखा था। वह एक प्रत्यक्षदर्शी भी था। उसने अ.सा. दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह पेड़ काटने गया था। वह अकेला ही पेड़ काट रहा था। मोहन (अ-1) भी वहॉ आया और उसे अपने खेत से पेड़ की जड़े खोदने का निर्देश दिया। हेतराम वहाँ आया, उसके बाद श्यामलाल (अ.सा.-15) और चिरोंजीलाल (मृतक) भी वहॉ आए। हेतराम पर अपीलार्थी मोहन (अ-1) ने हमला किया। हेतराम, श्यामलाल (अ.सा.-15) और चिरोंजीलाल (मृतक) कह रहे थे कि यह उनका पेड़ है और वे पेड काटने से रोक रहे थे। मोहन (अ-1) ने कहा कि अगर पेड़ उनका है, तो उन्हें पंचायत के निर्णय के लिए जाना चाहिए। अगर पंचायत निर्णय करेगी, तो वह पेड़ सौंप देगा। इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने अपीलार्थी (अ-1) पर हमला करना शुरू कर दिया।

गजलाल (अ.सा.-13) को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया और लोक अभियोजक द्वारा उससे प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी गई, लेकिन प्रतिपरीक्षण में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ सका। हमने उसके साक्ष्य का विस्तार के अध्ययन किया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति स्वीकार की थी, क्योंकि वह अपीलार्थीओं के साथ मजदूर के रूप में गया था।

10) अन्य 2 चक्षुदर्शी साक्षी , अर्थात् संतराम (अ सा -1) और कोंडी बाई (अ सा -3) पूरी तरह से पक्षद्रोही थे और उन्होंने केवल यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने घटना के बारे में सुना था।

11) अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर, हम पाते है कि यह घटना बबूल के पेड़ पर दोनों पक्षों के अधिकार के दावे के कारण घटी। शिकायतकर्ता पक्ष उक्त पेड़ पर अपने अधिकार और स्वत्व का दावा कर रहा था और अपीलार्थी/ अभियुक्त पक्ष भी

अपने अधिकार और स्वत्व का दावा कर रहा था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, लगभग सुबह 9.00 बजे, अपीलार्थी पक्ष अपने बैलगाड़ी के साथ बबूल का पेड़ काटने गया था। गजलाल (अ.सा.-13) उनके यहाॅ मजदूर के रूप में कार्यरत था। जब गजलाल (अ.सा.-13) ने बबूल का पेड़ काटना शुरू किया, तो शिकायतकर्ता पक्ष वहाॅ आया और अपने अधिकार का दावा किया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब उन्होंने अपीलार्थीओं का विरोध किया, तो झगड़ा हुआ और इस झगड़े में, अपीलार्थी क्रमांक1-मोहन (अ-1) ने मृतक पर उस टंगिया से हमला किया, जिसे वह पेड़ काटने के उददेश्य से पकड़े हुए था। हरि शंकर (अ-2) भी उसके साथ शामिल हो गया और उसने मृतक पर लाठी से हमला किया। अपीलार्थीओं ने अन्य दो व्यक्तियों पर भी हमला किया था, जिसके लिए उन्हें धारा 323 और 325 के साथ धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीओं की मृतक की हत्या करने की कोई पूर्वकल्पना या योजना नहीं बनाई थी।

यद्यपि अपीलार्थी क्रमांक 1 (अ-1) के हाथ में एक टंगिया था, लेकिन उसने उसके नुकीले हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया। शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक के अनुसार, मृतक के सिर पर केवल एक ही चोट घातक थी, जिसमें हडडी टूट गई थी। यह घटना दिनांक 25.11.93 को सुबह लगभग 9.00 बजे घटी और मृतक की मृत्यु दिनांक 26.11.93 को शाम लगभग 5.30 बजे अस्पताल में हुई। उपरोक्त सभी तथ्य यह दर्शाते हैं कि अपीलार्थीओं का मृतक ही हत्या करने का कोई आशय नहीं था और यह घटना अचानक हुए झगड़े में, आवेश में आकर, बिना किसी तैयारी या पूर्व चिंतन के घटी और झगड़ा घटना से पहले हुआ था। हमारा मानना है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध नहीं बनता है और अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के तहत दंड के पात्र होंगे।

12) अब हम अपीलार्थी संख्या-2 हरि शंकर (अ-2) के मामले की विवेचना करेंगे, जिसके लिए यह दावा किया गया था कि वह एक बालक था।

13) अपीलार्थी क्रमांक 2 (अ-2) के किशोर होने का प्रश्न न तो उपार्पण करने वाले न्यायालय के समक्ष और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया गया । अपील में, अपीलार्थी क्रमांक 2 (अ-2) की ओर से अंतरिम आवेदन क्रमांक 02 दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि घटना की तिथी यानी दिनांक 25.11.93 को उसकी आयु लगभग $15^{1/2}$ वर्ष थी। उसकी कक्षा-8वीं की अंकसूची (अनुलग्नक-अ-1) अंतरिम आवेदन के साथ दायर की गई, जिसमें उसकी जन्मतिथि दिनांक 23.05.1978 बताई गई थी। इस न्यायालय ने सूचना अपील क्रमांक 02 पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 (जिसे आगे अधिनियम २००० कहा गया है) की धारा 7 क में विहित शर्तों के अनुसार घटना की तिथि को उसकी आयु निर्धारित करने के लिए विश्लेषण करने का निर्देश दिया। माननीय सत्र न्यायाधीश ने विश्लेषण किया है और दिनांक 02.11.2011 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्षों के अनुसार, अपीलार्थी (अ-2) की जन्म तिथि 13.05.1978 थी और घटना के दिन उसकी आयु लगभग 15 वर्ष 6 महीने और 12 दिन थी। इस प्रकार 1986 के अधिनियम के अनुसार भी वह घटना के दिन अप्राप्तव्यय था। उपरोक्त विश्लेषण प्रतिवेदन पर आपत्तियां आमंत्रित की गई। राज्य ने विश्लेषण प्रतिवेदन का विरोध नहीं किया है। राज्य ने एक आवेदन दिनांक 18.07.2012 को प्रस्तुत करके जो संबंधित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्राधिकारी के शपथपत्र द्वारा समर्पीत है के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

14) सत्र न्यायाधीश के उपरोक्त निर्विवाद निर्णय को ध्यान में रखते हुए, अपराध घटित होने की तिथि अर्थात् दिनांक 25.11.93 को अपीलार्थी हरि शंकर (अ-2) की आयु 15 वर्ष 6 माह और 12 दिन थी। पक्षकारों ने सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्धारित आयु की सत्यता को स्वीकार किया है। इस प्रकार, यह सिद्ध हो गया कि घटना की तिथि को हरि शंकर (अ-2) अवयस्क था। अतः अपीलार्थी क्रमांक2 (अ-2) के मामले पर उसकी अवयस्कता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।

15) किशोर न्याय अधिनियम 1986 को बाद में बालक न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 द्वारा निरसित कर दिया गया। दिनांक 22.08.2006 को अधिनियम 2000 की धारा 2 (1) में संशोधन किया गया जिसमें कहा गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का अर्थ ऐसा बालक है जिस पर अपराध करने का आरोप है और जिसने ऐसे अपराध के घटित होने की तिथि पर अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बालक न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007,दिनांक 26.10.2007 को लागू किए गए। नियम 97(2) के अनुसार, सभी लंबित मामले जिनका अंतिम निर्णय नही हुआ है, उन्हें दिनांक 22.08.2006 को संशोधित अधिनियम 2000 और 2007 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना है। उपरोक्त के अनुसार अतः नियमों के अनुसार हरि शंकर (अ-2) अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी क्रमांक 2 (अ-2) का अभियोग सक्षम बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए था, न कि नियमित बोर्ड द्वारा। न्यायालय, अधिनियम 2000 की धारा 14 के अनुसार।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16) अधिनियम की धारा 15 में बालक के संबंध में पारित किए जा सकने वाले आदेशों का प्रावधान है। धारा 15 (1) (द) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि बोर्ड बालक को तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष गृह भेजने का आदेश दे सकता है। परंतुक के तहत, बोर्ड को, दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, रहने की अवधि को ऐसी अवधि तक कम करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझे।

17) अधिनियम 2000 की धारा 16 (1) में यह प्रावधान है कि किसी अन्य विधि में इसके विपरीत कोई प्रावधान होते हुए भी, विधि का उल्लंघन करने वाले किसी भी बालक को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी, न ही जुर्माना अदा न करने या जमानत न देने की स्थिति में उसे कारागार में भेजा जाएगा। परंतुक के अनुसार, यदि सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके किसी बालक ने कोई अपराध किया है और बोर्ड संतुष्ट है कि किया गया अपराध इतना गंभीर है या उसका आचरण और व्यवहार ऐसा रहा है कि उसे किसी विशेष गृह में भेजना उसके हित में या अन्य बालकों के हित में नहीं होगा, और इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अन्य उपाय उपयुक्त या पर्याप्त नहीं है, तो बोर्ड विधि से विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को ऐसे सुरक्षित स्थान पर और ऐसे तरीके से रखने का आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे और मामले का प्रतिवेदन राज्य सरकार के आदेश हेतु प्रस्तुत करेगा। धारा 16 की उपधारा (2) में आगे यह प्रावधान है कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपधारा (1) अधीन, राज्य सरकार बालक के संबंध में ऐसी व्यवस्था कर सकती है जैसा वह उचित समझे और ऐसे बालक को ऐसे स्थान पर और ऐसी शर्तों पर सुरक्षात्मक

अभिरक्षा में रखने का आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे। बशर्ते कि इस प्रकार आदेशित अभिरक्षा की अवधि किसी भी स्थिति में इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी।

18) अधिनियम 2000 की धारा 19 दोषसिद्धी से जुड़ी अयोग्यता को दूर करने का प्रावधान करती है। इसमें यह प्रावधान है कि किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बालक जिसने अपराध किया है और जिसके साथ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाई की गई है, उस पर ऐसे विधि के तहत किसी अपराध की दोषसिद्धी से जुडी कोई अयोग्यता लागू नहीं होगी।

19) इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी भी मामले में किसी बालक को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित अवधि से अधिक के लिए नहीं भेजा जा सकता है और हरि शंकर (अ-2) के मामले का उपरोक्त तरीके से कार्यवाही किया जाना चाहिए।

20) उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। धारा 323/34 और 325/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धी की पुष्टि करते हुए, अपीलार्थीओं को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दी गई दोषसिद्धी और सजा को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर, दोंनो अपीलार्थीओं को धारा 304 भाग -II/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया जाता है। अपीलार्थी क्रमांक1 मोहन (अ-1) को पहले से भुगती गई अवधि जो लगभग 8 वर्ष और 3 महीने है, की सजा सुनाई जाती है। इस अपीलार्थी (अ-1) को धारा 323/34 और 325/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दी गई सजाएं बरकरार रखी जाती हैं। सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश भी बरकरार रखा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21) अपीलार्थी क्रमांक2 हरि शंकर (अ-2 बालक) का संबंध है, वह साढ़े चार वर्ष से अधिक समय से सजा काट रहा है, इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और अधिनियम 2000 के तहत अधिकतम सजा के उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में, हम उसे दी गई सजा को अपास्त करते हैं और उसे आगे दंडित नहीं करते हैं। हम यह भी निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी क्रमांक 2 (अ-2) को उपरोक्त दोषसिद्धी के परिणामस्वरूप संबंधित उससे कोई अयोग्यता लागु नहीं होगी।

सही/-	**सही/-**
सुनील कुमार सिन्हा,	**आर.एस.शर्मा**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By AMIT TIWARI